मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, कामरेड इंद्रजीत गुप्त मार्ग नई दिल्ली 02

संख्या: ई-13/12/10/12-जनसंपर्क दिनांक: 23.03.2015

प्रैस-विज्ञप्ति

क.रा.बी.निगम 03 चिकित्सा महाविद्यालय चलाएगा तथा 08 अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों को चलाने हेतु राज्य सरकारों को विकल्प देगा -- श्री बंडारू दत्तात्रेय, माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री(स्वंतत्र प्रभार), भारत सरकार ।

श्री बंडारू दत्तात्रेय, माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री(स्वंतत्र प्रभार), भारत सरकार ने सूचित किया है कि क.रा.बी. निगम **राजाजी नगर, बैंगलुरू(कर्नाटक), के.के.नगर, चेन्नै(तमिलनाडु), जोका, कोलकाता(पश्चिम बंगाल) में पहले से चल रहे तीन चिकित्सा महाविद्यालयों तथा रोहिणी(दिल्ली) में चल रहे एक दंत्य महाविद्यालय** को जारी रखेगा । उन्होंने सूचित किया कि चल रहे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी इसी प्रकार जारी रहेंगे ।

माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री(स्वंतत्र प्रभार), श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली में इस विषय पर कल एक प्रैस कॉन्फ्रेन्स को संबोधित कर रहे थे । श्री शंकर अग्रवाल, सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा श्री अनिल कुमार अग्रवाल, महानिदेशक, क.रा.बी. निगम भी इस प्रैस कॉन्फ्रेन्स में उपस्थित थे । श्री दत्तात्रेय ने यह भी कहा कि क.रा.बी. निगम कई और चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं आरंभ नहीं करेगा। माननीय मंत्री जी ने कहा कि क.रा.बी.निगम बीमाकृत व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के अपने मूल कार्य की ओर ध्यान केंद्रित करेगा ।

वर्तमान में, क.रा.बी. निगम 04 चिकित्सा महाविद्यालय तथा एक दंत्य महाविद्यालय चला रहा है । इसके अतिरिक्त 08 और चिकित्सा महाविद्यालय निर्माणाधीन हैं।

क.रा.बी. निगम का मूल कार्य सामाजिक सुरक्षा अर्थात् क.रा.बी. योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्तियों को नकद हितलाभ तथा चिकित्सा हितलाभ प्रदान करना है । यह महसूस किया गया है कि यदि क.रा.बी. निगम चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र से बाहर निकलता है तो यह क.रा.बी. निगम को अपने मूल कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में सहायक होगा । तदनुसार, क.रा.बी. निगम ने अपनी 163वीं बैठक में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र से बाहर निकलने का निर्णय लिया था तथा इस संबंध में निर्णय जनवरी, 2015 को सभी संबंधितों को सूचित कर दिया गया था । इस निर्णय में विद्यार्थियों तथा अन्य पणधारियों के हितों को पूरी सुरक्षा प्रदान की गई है । तथापि, इस संबंध में विद्यार्थियों को कुछ शंकाएं हो रही है । सांसदों, विद्यार्थियों के अभिभावकों लोक प्रतिनिधियों तथा सामान्य जनसाधारण से इस संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। क.रा.बी. निगम की 164वीं बैठक में भी यह दोहराया गया था कि विद्यार्थियों तथा बीमाकृत व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा की जाएगी । **इसलिए पिछले सप्ताह एक परिशोधित परिपत्र जारी किया गया जिसमें कहा गया कि क.रा.बी. निगम अपने पहले से चल रहे चार चिकित्सा माविद्यालयों तथा एक दंत्य महाविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश देना जारी रखेगा ।**

क.रा.बी. निगम अन्य चिकित्सा महाविद्यालय परियोजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों को अंतरित करने के लिए प्रयासरत है । परिशोधित अनुबंधों एवं शर्तों वाले पत्र संबंधित राज्य सरकारों को इस अनुरोध

के साथ जारी किए गए हैं कि वे अपने जवाब केंद्र सरकार को अगले 15 दिन के भीतर भेज दें अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि वे इन परियोजनाओं को लेने के इच्छुक नहीं हैं और इन चिकित्सा महाविद्यालयों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) तंत्र आदि के रूप में चलाने के प्रयास किए जाएंगे।

फरीदाबाद(हरियाणा), सनत नगर, हैदराबाद(तेलंगाना) तथा कोयम्बतूर(तमिलनाडु) में प्रस्तावित क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालयों के ग्रहण क्षेत्र में पर्याप्त बीमाकृत व्यक्ति हैं । यह प्रस्तावित किया गया है कि राज्य सरकारें इन चिकित्सा महाविद्यालयों को संबद्ध अस्पतालों के साथ क.रा.बी. अस्पताल के रूप में चला सकती हैं । यदि इन राज्य सरकारों से सकारात्मक प्रत्युत्तर नहीं मिलता तो क.रा.बी. निगम इन चिकित्सा महाविद्यालयों को सार्वजनिक निजी भागीदारी तंत्र से या स्वयं ही चलाएगा ।

गुलबर्गा(कर्नाटक) में पहले से चल रहे क.रा.बी. निगम आदर्श महाविद्यालय के ग्रहण क्षेत्र के बीमाकृत व्यक्ति 500 बिस्तर वाले क.रा.बी. अस्पताल को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जो कि भारतीय चिकित्सा परिषद की अनुमति लेने के लिए अनिवार्य शर्त है । यह चिकित्सा महाविद्यालय गुलबर्गा में राज्य सरकार अस्पताल के साथ टाइ-अप व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है । क.रा.बी. निगम इस चिकित्सा महाविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश जारी रखेगा । राज्य सरकार से इसे अपने अधिकार में लेने तथा संबद्ध अस्पताल को सामान्य अस्पताल के रूप में चलाने का अनुरोध किया गया है। यदि राज्य सरकार से सकारात्मक प्रत्युत्तर नहीं मिलता तो क.रा.बी. निगम इन संस्थाओं को सार्वजनिक निजी भागीदारी तंत्र में चलाने हेतु जांच करेगा ।

चार अन्य स्थान अर्थात् मंडी(हिमाचल प्रदेश), अलवर(राजस्थान), पेरीपल्ली(केरल) तथा बिहटा, पटना(बिहार) में ग्रहण क्षेत्र में बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या 500 बिस्तर वाले क.रा.बी. अस्पताल चलाने हेतु पर्याप्त नहीं है । अत: यह प्रस्तावित किया गया है कि इन संस्थाओं को संबंधित राज्य सरकारों को अंतरित कर दिया जाए तथा चिकित्सा महाविद्यालय के साथ संबद्ध अस्पताल को सामान्य अस्पताल के रूप में चलाया जाए । यदि राज्य सरकार की प्रत्युत्तर सकारात्मक नहीं है तो क.रा.बी. निगम इन संस्थानों को सार्वजनिक निजी भागीदारी तंत्र में चलाने हेतु जांच करेगा, यदि ऐसा न हो सका तो परिसंपत्ति का विनिवेश किया जाएगा ।

चिकित्सा महाविद्यालय के अंतरण की महत्वपूर्ण शर्तों में से एक यह है कि बीमाकृत व्यक्ति इन अस्पतालों में नकद रहित रीति से उपचार लेते रहें । अन्य शर्तें यह है कि विद्यमान नीति अनुसार 'बीमाकृत व्यक्तियों के प्रतिपाल्यों' हेतु आरक्षण उपलबध रहना चाहिए और राज्य सरकारें शेष दायित्व का वहन करें या क.रा.बी. निगम के साथ परियोजना से राज्य का 50% साझा करें ।

बसईदारापुर, दिल्ली में प्रस्तावित क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय परियोजना बीमाकृत व्यक्तियों के हित में होगी । इसे क.रा.बी.लाभार्थियों के लिए वर्धित द्वितीयक देखभाल के साथ-साथ अति विशिष्टता उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बदला जाएगा ।

क.रा.बी. निगम कोई अन्य चिकित्सा महाविद्यालय या कोई अन्य नई चिकित्सा शिक्षा संस्था नहीं आरंभ करेगा ।